न्यायालय … रुदौली, जनपद फैजाबाद।

वाद सं० 95 आफ 2015-16

अं० धारा-143 भू० रा० अधिनियम
ग्राम-जहानपुर परगना-रुदौली
तहसील-रुदौली, जिला-फैजाबाद।

आदर्श महाविद्यालय   बनाम   उ०प्र० सरकार

निर्णय

प्रश्नगत वाद आदर्श महाविद्यालय जहानपुर रुदौली के प्रबन्धक राम कैलाश मौर्य पुत्र स्व ० हरिभान मौर्य निवासी ऐहार परगना व तहसील रूदौली , जिला अयोध्या द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० पर योजित हुआ जिसकी गाटा संख्या 17/ 0.491 हे 0 मे रक्बा 0.491हे 0 उक्त कालेज के नाम से दर्ज सरकारी कागजात खतौनी है जिसका उपयोग गैर कृषि / आबादी / महाविद्यालय के रूप में किया जा रहा है जिसे कृषि खाते से निरस्त करके आबादी घोषित करने की आवश्यकता है। गाटा संख्या 17/ 0.491हे ० का उपयोग गैर कृषि मत्स्य पालन , बागवानी , कुक्कुट पालन आदि से भिन्न कर्यो मे उपयोग हो रहा है। इस कारण उक्त गाटे का रक्बा 0.491हे ० को आबादी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः गाटा संख्या 17/ 0.491हे 0 मे से 0.491हे 0 को गैर कृषिक आबादी घोषित करने की याचना की है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार रूदौली से कराई गयी जिसमें तहसीलदार रूदौली ने लिखा है कि प्रार्थी रामकैलाश मौर्य पुत्र हरीभान मौर्य निवासी ग्राम ऐहार गाटा संख्या 17/ 0.491हे 0 स्थित ग्राम जहानपुर मे से 0.491हे 0 भूमि आदर्श महा विद्यालय जहानपुर रूदौली का प्रबन्धक है के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त गाटा संख्या 17/ 0.491हे 0 के सम्पूर्ण भाग पर मकान , कमरा , ऑफिस व जगह जगह बुनियाद डाली गयी है एवं 0.491हे 0 पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। अतः उपरोक्त गाटा सं 0 17/ 0.491हे 0 वास्तव में ऐसे प्रयोजन के रूप में लाया जा रहा है जिसका सम्बन्ध कृषि , बागवानी , पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन एवं मत्स्य संवर्धन भी है से नही है उपरोक्त भूमि आबादी भूमि / अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है। अतएव गाटा संख्या 17/ 0.491हे 0 माल गुजारी परता खाता स्थित ग्राम जहानपुर को ज ० वि ० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

उक्त के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन / परिसीलन किया गया जिससे विदित हुआ कि गाटा संख्या 17/ 0.491 हे 0 स्थित ग्राम जहानपुर जो आदर्श महाविद्यालय जहानपुर रूदौली द्वारा प्रबन्धक रामकैलाश मौर्य पुत्र हरीभान मौर्य निवासी ऐहार के नाम बतौर खातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है जिसमें से वादी / प्रबन्धक द्वारा अपने सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.491हे ० का उपयोग विद्यालय भवन निर्माण कर तथा विद्यालय के रूप में लाया जा रहा है जिसका सम्बन्ध कृषि , बागवानी , मत्स्य पालन , कुक्कुट पालन आदि से नही है। तदनुसार तहसीलदार रूदौली की आख्या स्वीकार करते हुए गाटा संख्या 17/ 0.491हे 0 माल गुजारी परता खाता स्थित ग्राम जहानपुर को उ ० प्र ० ज ० वि ० एवं एवं , भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना विधि सम्मत होता है।

आदेश

अतः ग्राम- जहानपुर की खतौनी खाता संख्या 00003 की गाटा सं0-17/ 0.491हे 0 माल गुजारी 35 . 73 रू ० जो आदर्श महाविद्यालय जहानपुर रूदौली द्वारा प्रबन्धक रामकैलाश मौर्य पुत्र हरिभान मौर्य निवासी ऐहार के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है जिसमें से आदर्श महाविद्यालय जहानपुर रूदौली द्वारा प्रबन्धक राम कैलाश मौर्य पुत्र हरिभान मौर्य निवासी उपरोक्त के नाम अंकित क्षेत्रफल (17/ 0.491 हे ०) 0.491हे 0 माल गुजारी परता खाता को उ ० प्र ० ज ० वि ० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों मे संशोधन / अमल दरामद हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित अभिलेखागार हो।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

उपजिलाधिकारी
रुदौली, फैजाबाद।

प्रबन्धक
आदर्श सेवा शिक्षा समिति
ऐहार, रुदौली, अयोध्या

Principal
Adarsh Pharmacy College
Jahanpur, Rudauli, Distt.-Ayodhya

CamScanner